

राजस्थान-सरकार
उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.5(21)उद्योग/1/2019

जयपुर, दिनांक 12-03-2020

ओ
PS

आदेश

प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6(27)प्र.सु./अनु-3/2019 दिनांक 11.07.2019 द्वारा राज्य में नये निवेश को प्रोत्साहित करने एवं विद्यमान उद्यमों के सुचारु संचालन हेतु उद्योग विभाग के अन्तर्गत स्थापित विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों का निम्नानुसार मनोनयन किया जाता है:-

1. श्री अशोक कजारिया, फैंडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (फिक्की), जयपुर
2. श्री सीताराम अग्रवाल, राजस्थान स्टील चैम्बर्स, जयपुर
3. श्री उमेश लीला, मरुधरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, जोधपुर
4. श्री दिलीप सिंह गहलोत, अध्यक्ष, मंडोर बाप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एसोसिएशन, जोधपुर
5. श्री श्रवण शर्मा, प्लास्टिक मेन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, जयपुर

राज्यपाल की आज्ञा से,

६०

(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, उद्योग।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग/एमएसएमई/वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण एवं वन/राजस्व/नगरीय विकास एवं आवासन/खान एवं पेट्रोलियम/ऊर्जा विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्थानीय निकाय/श्रम एवं नियोजन विभाग।
8. प्रबन्ध निदेशक, रीको लि., जयपुर।
9. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान लघु उद्योग निगम लि., जयपुर।
10. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग विभाग।
12. निजी सचिव, आयुक्त, निवेश एवं अप्रवासी भारतीय।
13. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
14. महाप्रबन्धक, सिडबी।
15. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ोदा)।

शासन उप सचिव